न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 74/2019

1. गोपाल सिंह पुत्र मदनसिंह
2. रामनिवास सिंह पुत्र मदनसिंह
3. गजानन्द सिंह पुत्र उमरावसिंह
4. जयसिंह पुत्र उमरावसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतिल तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज)

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार कोटपूतली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
2. तहसीलदार पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर (राज.)

अपील विरूद्व नामा.सं. 109 दिनांक 29/7/1992 तहसीलदार तहसील कोटपूतली बाबत खसरा नम्बर 1691, 1692, 1693 वाके मौजा दांतिल तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट

निर्णय

दिनांक 23.2.22

अपीलान्ट द्वारा अपील विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट 1956 विरूद्व नामा.सं. 109 दिनांक 29/7/1992 बाबत खसरा नम्बर 1691, 1692, 1693 वाके मौजा दांतिल के विरूद्व पेश की है, जिसमें वर्णित तथ्य निम्नभांति पेश किये हैं :–

1. यह है कि साबिक खसरा नम्बर 1422 वाके मौजा दांतिल जिसके हाल खसरा नम्बर 1691, 1692, 1693 वाके मौजा दांतिल से बने हैं, जिसमें जिला कलक्टर के आदेश कमांक 4496–4512 दिनांक 14/12/1975 से खसरा नम्बर 1422 को चारागाह भूमि से आबादी भूमि में परिवर्तन कर दिया गया था, जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली ने पत्रांक राजस्व/92/1354 दिनांक 17/7/1992 के द्वारा उक्त आवंटित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार कोटपूतली को लिखा गया था, जिसकी पालना में पटवारी हल्का दांतिल द्वारा नामा.सं. 109 दिनांक 29/7/1992 को तहसीलदार कोटपूतली द्वारा स्वीकार किया गया था।
2. यह है कि उक्त आदेश के अनुसार तस्दीक किया गया नामा. में सहवन से हाल ख.नं. 1692 को गलती से नामा. में लिखने से रह गया जो एक लिपिकीय त्रृटि है, जिसे दुरूस्त करने हेतु श्रीमान् उप जिलाधीन कोटपूतली को गाम पंचायत दांतिल ने राजस्व अभियान कैम्प दांतिल में 31/5/1993 को प्रा.पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी ना ही दुरूस्ती की गयी और आज भी

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

उक्त आराजी ख.नं. 1692 चारागाह गलती से चला आ रहा है, जबकि ख.नं. 1692 सम्पूर्ण में आबादी बसी हुयी है तथा ग्राम पंचायत ने पट्टे भी जारी कर रखे है। इस प्रकार आ.ख.नं. 1692 चारागाह की ना होकर आबादी की भूमि है।

3. यह है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 1692 वाके मौजा दांतिल में वादीगण एवं परिवारजन का आवासीय भू–खण्ड बुजुर्गान के समय से स्थित है। मकान आऊण्ड्री दुकानात् बनी हुयी है।
4. यह है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 1692 वाके मौजा दांतिल जो साबिक खसरा नम्बर 1422 वाके मौजा दांतिल से बना है। जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश से आबादी भूमि में परिवर्तित की गयी है, लेकिन सहवन से ख.नं. 1692 नहीं करने के कारण आज भी चारागाह भूमि के रूप में दर्ज है तथा इस गलत त्रुटि के आधार पर गांव के ही कुछ लोग अपीलान्ट से राजनैतिक द्वेष्ता रखने वाले कुछ व्यक्ति अपीलान्ट के विरूद्व झुठी शिकायत करके अपीलान्ट को उनके रिहासयी भू–खण्ड दुकानत से रेस्पोडेन्ट के द्वारा बेदखल करने पर ऊतारू है, जबकि रेस्पोडेन्टस् या अन्य किसी व्यक्ति का अपीलान्ट के रिहायसी भू–खण्ड व दुकानात् से कोई लेना–देना तालुक वास्ता नहीं है ना ही रेस्पोडेन्टस् अपीलान्ट को उनके रिहायसी भू–खण्ड व दुकानात से बेदखल करने का अधिकार नहीं है।
5. यह है कि अपीलान्टस् व उनके परिवारजन द्वारा रेस्पोडेन्टस् को अपील में वर्णित जिला कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के आदेश का हवाला देते हुये नामा.सं. 109 को दुरूस्त करने हेतु कहा लेकिन रेस्पोडेन्ट ने गत सप्ताह साफ इन्कार कर दिया कहा कि सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करें । इसलिए मान्य न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है।
6. यह है कि अपीलान्टस् को नामा.सं. 109 दिनांक 29/7/1992 स्वीकार द्वारा तहसील कोटपूतली के बाबत पूर्व में जानकारी नहीं थी अब गत सप्ताह रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट कोउनके रिहायसी भू–खण्ड व दुकानात से बेदखली करने की धमकी दी जिस पर अपीलान्टस् ने राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की तो अपीलान्ट को नामा.सं. 109 की जानकारी हुयी। बिना देरी किये अपीलान्ट ने नामा. की नकल प्राप्त की और अपना वकील नियुक्त कर बिना किसी देरी के अपील मान्य न्यायालय में पेश की है फिर भी अपील पेश करने में देरी माफी के लिए प्रा.पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम का पेश किया जा रहा है।
7. यह है कि अपील श्रीमान् के श्रवणाधिकार में है तथा निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि नामा.सं. 109 स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 29/7/1992 बाबत आराजी ख.नं. 1691, 1692, 1693 वाके ग्राम दांतिल तहसील कोटपूतली को निरस्त किया जाकर हाल खसरा नम्बर 1692 जो साबिक ख.नं. 1422 वाके मौजा दांतिल से बना है को भी आबादी में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

8. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश करने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये गये। बाद तामील होने पर संलग्न पत्रावली किया गया उक्त नामा. में आ.ख.नं. 1692 का अंकन नहीं होने बाबत वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त करने हेतु लिखा गया जवाब पेश नहीं हुआ।

9. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि साबिक ख.नं. 1422 वाके मौजा दांतिल से जिनके हाल ख.नं. 1691, 1692, 1693 वाके मौजा दांतिल बने है। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय ने अपने आदेश कमांक 4496–4512 दिनांक 14/12/1975 के द्वारा आराजी ख.नं. 1422 को चारागाह भूमि से आबादी भूमि में परिवर्तन कर दिया था जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा आवंटित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार कोटपूतली को दिनांक 17/7/1992 को लिखा गया था जिसकी पालना में नामा.सं. 109 दिनांक 29/7/1992 को तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया है। उक्त तस्दीक किया गया नामा. में सहवन से हाल ख.नं. 1692 गलती से उक्त नामा. में लिखने से रह गया जो एक लिपिकीय त्रृटि है जो आज भी उक्त आराजी ख.नं. 1692 चारागाह भूमि गलती से चला आ रहा है, जबकि 1692 ख.नं. में आबादी बसी हुयी है तथा ग्रा.पं. द्वारा पट्टे भी जारी किये जा रहे है। उक्त ख.नं. 1692 वाके मौजा दांतिल में अपीलान्ट परिवारजन का आवासीय भू–खण्ड बुजुर्गान के समय से मकान दुकान बाऊण्ड्री बनी हुयी है। राजनैतिक द्वेवता से कुछ व्यक्ति अपीलान्ट के विरूद्व झुठी शिकायत करने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को बेदखल करने में उतारू है, जबकि रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के मकान दुकानात् से कोई लेना–देना तालुक वास्ता नहीं है तथा ना ही रिहायसी भू–खण्ड ब दुकानात् से बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर आ.ख.नं. 1692 वाके मौजा दांतिल किस्म भूमि चारागाह से आबादी में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली के राजस्व रिकॉर्ड में अवलोकन करने से साबिक ख.नं. 1422 मिलान क्षेत्रफल 2037 से 2056 के अनुसार हाल ख.नं. 1691, 1692, 1693 बनना पाया गया। नामा.सं. 109 वाके ग्रम दांतिल में हाल ख.नं. 1691 किस्म चारागाह से सिवायवक गै0मु0 आबादी दर्ज होना पायी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि आ.ख.नं. 1692 वाके ग्राम दांतिल में अपीलान्ट का आबादी भूमि में रिहायसी भू–खण्ड दुकानात् बने हुये हैं तथा उक्त ख.नं. 1692 में आबादी बसी हुयी है। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेशों से साबिक ख.नं. 1422 चारागाह भूमि से आबादी भूमि के आदेश हुये है। इसके उपरान्त भी हाल ख.नं. 1692 आज भी चारागाह भूमि का चला आ रहा है, जबकि 1692 ख.नं. कि किस्म आबादी भूमि हो जानी चाहिए थी, परन्तु सहवन से उक्त

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

नामा. में उक्त ख.नं. दर्ज नहीं हुआ। ग्राम सचिव द्वारा राजस्व कैम्प ग्रा.मु.दांतिल 31/5/93 द्वारा उपखण्ड अधिकारी को एक प्रार्थना–पत्र बाबत आबादी भूमि के नामा. सही कराने का पेश किया जिसमें वर्णित है कि ख.नं. 1692 की 48 एयर भूमि आबादी में दर्ज करनी थी किन्तु ख.नं. 1620 में सभी वर्गों का श्मशान घाट है। इस नम्बर में 48 एयर भूमि आबादी भूमि में दर्ज कर दी गयी जो पूर्णतया गलत एवं अशुद्ध है। उक्त भूमि को श्मशान से हटाकर ख.नं. 1692 में 0.48 है0 भूमि आबादी में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। चूँकि उक्त नामा. सं. 109 में आ.ख.नं. 1692 का कोई इन्द्राज उक्त नामा. में नहीं पाया गया है। ग्राम सेवक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुसार ख.नं. 1692 की 48 एयर भूमि ख.नं. 1620 में सहवन से आबादी भूमि दर्ज होना अवगत कराया है। इसलिए उक्त नामा. सही रूप से दर्ज ना होकर दिनांक 29/7/92 को स्वीकार हुआ है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर उक्त नामा.सं. 109 को खारिज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि आराजी ख.नं. 1692 को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेशो की पालना में सिवायचक आबादी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें।

10. निर्णय आज दिनांक 23.2.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)